न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम : 562

धनराज महतो व०अ० ....प्रथम पक्ष

बनाम्

सोना प्रसाद वर्मा व०अ० ....द्वितीय पक्ष

वाद संख्या........93/21........ धारा......144......द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता0...से...तक

जिला...सं0...सन् 20.........

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
Both Party C C Issued 24/06/21	धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही/~~नोटिस~~ मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी ....बिरनी.... के पत्रांक 1481 दिनांक ....26/06/21.... के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोक जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ....15/07/21.... को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा - खुरजियो, थाना - बिरनी, जिला - गिरिडीह खाता सं० - 02, प्लॉट सं० - 748, रकबा - 1.90 ए० चौहद्दी उ० - परती जमीन, द० - रास्ता पू० + प० - मेखला कोयरी लेखापित अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया	

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
15/07/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। Issue reminder for S.R. Put up on 29/7/21. [signature] 15/7	
29/07/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग रहना है। अभिलेख दिनांक 12/08/21 को रखें। अनु० पदाधि० कार्यपालक-सह-[illegible]	
12/08/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 02/09/21 को उपस्थापित करें। अनु० पदाधि०	

आदेश क क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02/09/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष - उपस्थित द्वितीय पक्ष - उपस्थित ने दाखिल किया है इनके बराबर हिस्सेदार है प्रथम पक्ष कहना है कि [illegible] पर विवादित भूमि के दावा संबंधी रजिस्ट्री की कागजात प्रस्तुत किया है वर्ष 14.05.1999 को भूमि बहाल रखने की है भूमि पर बरकरार एवं हिस्सेदारी व विवाद है आदेशार्थ रखें। [illegible signature] आदेश उभय पक्षों को सुना। खतियान, पंजी-II के अनुसार विवादित भूमि पर (i) मानदेव कोयरी वल्द हेदो कोयरी (ii) भरत कोयरी वल्द कुंजो कोयरी (iii) मानिक कोयरी वल्द बीरजा कोयरी सा० [illegible] जिला [illegible]) जो आपस में गोतिया है एवं हिस्सेदार है। जबकि द्वितीय पक्ष मानदेव कोयरी एवं भरत कोयरी उक्त भूमि के संबंधित रजिस्ट्री पत्र के आधार पर अपना	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
Both Party C.C. Issued 23/09/21	अपना दावा करते हैं भूमि की किस्म बकाश्त दर्ज है। अतः दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त प्रतीत होता है कि यह स्वत्व वाद से संबंधित है जिसके निर्णय हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है अतः वादी सक्षम में अपील कर सकते हैं। [illegible]	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.05 12:39:52 +05:30
Location: 192.168.43.238